पटना में दिनांक–29 जुलाई, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1 (शष्य) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष/अवर कृषि पदाधिकारी के पद हेतु कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **1. स्वीकृत।**

गृह विभाग

2. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली–2021 (यथासंशोधित) में बिहार राज्य अन्तर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत् एलिवेटेड/अण्डरग्राउण्ड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने तथा मेट्रो रेल परियोजना के संबंधित प्राधिकार हेतु निर्धारित चेकलिस्ट को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को अधिसूचित करने के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

3. "गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

4. ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2025 की अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

5. पटना शहर के नेहरू पथ पर डॉ० राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रू० 67550.70 लाख (छः सौ पचहत्तर करोड़ पचास लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

6. केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण हेतु (जॉब नं०–सी०आर०एफ०–बी०आर० –2017–18/80) कुल राशि ₹69626.71 लाख (छः सौ छियानवें करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

7. पटना में एम्स (एन०एच०–98) से दीघा रेल–सह–सड़क पुल के पटना छोर तक 2–लेन सड़क एवं 4–लेन एलिवेटेड लेन के साथ एन०एच०ए०आई० के लेफ्ट ओवर कार्य [एम्स (एन०एच०–98) से दीघा रेल–सह–सड़क पुल के पटना छोर तक पहुँच पथ का निर्माण कार्य] एवं दीघा रेल–सह–सड़क पुल से अशोक राजपथ की अतिरिक्त कनेक्टिवीटी कार्य ₹136846.00 लाख (तेरह सौ अड़सठ करोड़ छियालीस लाख रूपये) की द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

8. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के निमय–20, 22, 25(1), 25(2), 25(3), 25(4) एवं नियम 26(1) के प्रतिस्थापन के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

9. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत रानीगंज प्रखंड (अररिया) में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने, उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) एवं कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक–एक पद के सृजन तथा अवर निबंधन कार्यालय, फारबिसगंज के क्षेत्राधिकार से कुर्साकांटा अंचल को हटाकर जिला अवर निबंधन कार्यालय, अररिया के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की स्वीकृति के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

10. सुपौल जिलान्तर्गत भू–जल स्तर में गिरावट एवं लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायतों के 63 गाँवों के 318 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सुरसर नदी के सतही जल के उपयोग से 27 MLD (पार्ट–I) एवं 4 MLD (पार्ट–II) क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पांच वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु 320.1001 करोड़ रूपये (तीन अरब बीस करोड़ दस लाख एक हजार रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति। — 10. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

11. सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत राज्य में कुल 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर Equipment एवं Furniture मद के अन्तर्गत बर्त्तन सेट ई–खरीद के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराने एवं इसके निमित राशि रू० 115,00,90,000/–(एक सौ पन्द्रह करोड़ नब्बे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 11. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

12. बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों/न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति से करायी गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2,49,100 (दो लाख उनचास हजार एक सौ) मे०टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे०टन, 500 (पाँच सौ) मे०टन एवं 1000 (एक हजार) मे०टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू० 1,80,19,77,688/–(एक अरब अस्सी करोड़ उन्नीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ अठासी) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

खेल विभाग

14. राज्य खेल अकादमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर (नालंदा) अंतर्गत असैनिक एवं विद्युतीकरण कार्य के निमित पुनरीक्षण के फलस्वरूप कुल राशि ₹11,21,41,20,515 (ग्यारह सौ इक्कीस करोड़ इकतालीस लाख बीस हजार पाँच सौ पन्द्रह रूपये) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

15. मेसर्स मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा, पूर्णियाँ को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के निमय–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल–मांझा के मौजा–डोमाहाता, थाना सं०–89 एवं छवही खास, थाना सं०–92 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–4.63 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि किस्म–परती कदीम (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण एवं के०वी०एस० के स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. दरभंगा जिलान्तर्गत अंचल–हनुमाननगर, मौजा–गोढ़ैला, थाना सं०–179, खाता सं०–1203 विभिन्न खेसराओं की कुल प्रस्तावित रकबा–05 एकड़ (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I) भूमि केन्द्रीय विद्यालय–02, दरभंगा के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. मुंगेर जिलान्तर्गत ऐतिहासिक एवं पौराणिक "सीताकुंड मेला" को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत सम्मिलित करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

19. पर्यटन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–2315 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु रकबा–50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के निमित राशि 120,58,67,175/– (एक सौ बीस करोड़ अंठावन लाख सड़सठ हजार एक सौ पचहत्तर) रूपये योजना की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करते हुए रकवा 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के निमित राशि 165,57,16,104/–(एक सौ पैंसठ करोड़ संतावन लाख सोलह हजार एक सौ चार) रूपया मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

20. बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली–2019 की कंडिका 4 (1) एवं 5 में संशोधन के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

21. डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में पूर्व से विहित वेतनमान में स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्त/कार्यरत् प्रधानाध्यापक, स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं प्राथमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के पदधारक की सेवानिवृति एवं अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाले रिक्त पद रिक्ति की तिथि से बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के तहत् नियुक्ति हेतु पदों को सम्परिवर्तित करने की स्वीकृति। — 21. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

22. बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

24. राज्य योजना के तहत (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) दरभंगा में 2.00 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना हेतु कुल रूपये 71,32,00,000/–(एकहत्तर करोड़ बत्तीस लाख) (सिडबी से लोन रूपये 60,62,00,000/– (साठ करोड़ बासठ लाख) एवं कॉम्फेड/मिथिला दुग्ध संघ के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि रूपये 10,70,00,000/– (दस करोड़ सत्तर लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

25. राज्य योजना के तहत (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) डेहरी–ऑन–सोन, रोहतास में 30 मिट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध चुर्ण संयंत्र की स्थापना हेतु कुल रूपये 69,66,00,000/–(उनहत्तर करोड़ छियासठ लाख) (सिडबी से लोन रूपये 41,80,00,000/– (एकतालीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र एवं कॉम्फेड के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि रूपये 27,86,00,000/– (सत्ताईस करोड़ छियासी लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

26. राज्य योजना (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) के तहत वजीरगंज, गया में 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना हेतु कुल रूपये 50,27,00,000/–(पचास करोड़ सत्ताईस लाख) (सिडबी से लोन रूपये 30,16,00,000/–(तीस करोड़ सोलह लाख) एवं कॉम्फेड के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि रूपये 20,11,00,000/–(बीस करोड़ ग्यारह लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

27. राज्य योजना के तहत (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) सीतामढ़ी में 30 मिट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध चुर्ण संयंत्र की स्थापना हेतु कुल रूपये 70,33,00,000/–(सत्तर करोड़ तैंतीस लाख) (सिडबी से लोन रूपये 56,27,00,000/– (छप्पन करोड़ सत्ताईस लाख) एवं कॉम्फेड के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि रूपये 14,06,00,000/– (चौदह करोड़ छः लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **27. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

28. राज्य योजना के तहत (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) गोपालगंज में 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना हेतु कुल रूपये 54,73,00,000/–(चौवन करोड़ तीहत्तर लाख) (सिडबी से लोन रूपये 46,52,00,000/–(छियालीस करोड़ बावन लाख) एवं कॉम्फेड के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि रूपये 8,21,00,000/–(आठ करोड़ एक्कीस लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **28. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

29. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु 270.00 करोड़ (दो सौ सत्तर करोड़ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **29. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

30. "बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **30. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

31. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा से संबंधित कैमूर जिलान्तर्गत भू–जल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड अंतर्गत 7 पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भू–जल के उपयोग से 7.85 MLD क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा सात वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु 293.944 करोड़ रूपये (दो अरब तिरानवे करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **31. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

32. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार कार्य योजना अन्तर्गत राज्य के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु राज्य योजना मद से ₹276.33 करोड़ (दो अरब छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

33. डा० रविश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपसा, बांका को दिनांक–17.05.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 33. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

34. डा० दिपीका, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को दिनांक–15.09.2020 को योगदान के पश्चात् लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

35. डा० अभिषेक केशरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिग्घी, लक्ष्मीपुर, जमुई को दिनांक–16.12.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 35. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

36. डा० उत्कर्ष भारद्वाज, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय को दिनांक–16.12.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 36. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

37. डा० कुंदन कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर, मांझी, खगड़िया को दिनांक–09.09.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 37. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

38. डा० कुमारी शिवा, चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, शेखपुरा को दिनांक–30.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 38. स्वीकृत।

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

39.	डा० मोनिका, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सदर अस्पताल, खगड़िया को दिनांक–24.01.2019 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	**39.**	**स्वीकृत।**

<u>पंचायती राज विभाग</u>

40.	बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008 के नियम 5 में संशोधन प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप में स्वीकृति के संबंध में।	**40.**	**स्वीकृत।**

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

41.	बिहार युवा आयोग में कुल 06 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	**41.**	**स्वीकृत।**